B.A. PART-II (3RD PAPER)

Q. भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति, कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन करें।

राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रधानमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह देश का वास्तविक शासक होता है।
जेनिंग्स, का कहना है कि "The Prime Minister is the Key stone of the Constitution." स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री संविधानतः शक्तिशाली होता है।

ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परम्परा पर आधारित है, लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 74 मे इस पद के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षिप्त कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों मे सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करेगा। संविधान की यह संक्षिप्त स्थिति न तो नियुक्ति पद्धति को प्रकट कर पाती है और न उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को ही स्पष्ट कर पाती है जो व्यवस्था प्रधानमंत्री

से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था सिद्धान्त पर आधारित है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति :-
भारतीय संविधान धारा 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कर सकता है, लेकिन संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि लोकसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया जायगा। संविधान के अनुसार तो कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक संसद के सदस्य रहे बिना भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि संसद सदस्य को ही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया जाय। श्रीमती इन्दिरा गांधी के 1966 ई० में प्रधानमंत्री हो जाने के बाद स्पष्ट हो गया कि व्यवहार: राज्य सभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-
प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व्यक्ति के विशिष्ट गुणों पर ही आधारित है। जिस व्यक्ति में अधिक गरिमा, राजनैतिक दूरदर्शिता आदि,

Scanned with CamScanner

विशिष्ट गुण होंगे, वही व्यक्ति अधिक प्रभावशाली प्रधानमंत्री होगा। मेहरा अपने मानवीय गुणों एवं दूरदर्शिता के कारण ही एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए और उसी रूप में इन्दिरा गाँधी 1971 से 1976 ई० तक एक ऐसी प्रधानमंत्री हुए जो इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हुए। इसलिए यह कहना उचित प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व पर ही प्रधानमंत्री की शक्ति निर्भर करती है। इन्दिरा गाँधी के बाद दोनो प्रधानमंत्री (मोरारजी देसाई और चरण सिंह 1977-1979 ई०) ने प्रधानमंत्री की शक्ति का हलाल ही किया, जिससे पुनः प्रधानमंत्री के रूप में इन्दिरा गांधी का उदय हुआ। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की शक्तियां मे अद्वितीय वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्ति मे विश्वास प्रकट किया है वह स्मरणीय है। उसी प्रकार भारत मे भी बंग्लादेश के युद्ध के समय और युद्ध के बाद प्रधानमन्त्री की शक्ति मे अत्याधिक वृद्धि हुई और उसके फलस्वरूप प्रधानमन्त्री को देश का एकमात्र नेता माना जाने लगा।

स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री वास्तव मे शक्ति सम्पन्न है, वह निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित करता है :-

Scanned with CamScanner

1. मंत्रिमंडल का निर्माण तथा जीवन और मरण का केन्द्र-स्थल :-
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन-निर्माण तथा मृत्यु का केन्द्र स्थल है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा लेकिन व्यवहारतः प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति का अधिकार एक औपचारिक मात्र है लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधान मंत्री बिल्कुल स्वतंत्र है। नियुक्ति के समय उसे बहुत-सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे- धर्म, भौगोलिक स्थिति, जाति वर्ग विशेष और दबाव गुट आदि।

~~मंत्रिमंडल~~ मंत्रिपरिषद के निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा उनके बीच विभागों का आवंटन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकता है और जब किसी मंत्री को प्रधानमंत्री से मतभेद हो जाता है तो उसे त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर सकता है और जब किसी मंत्री को प्रधानमंत्री से मतभेद हो जाता है तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है। अतएव, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारित होता है।

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद् का निर्माण एवं अन्त करता है बल्कि उसका संचालन भी करता है, उसकी कार्यवाहियों पर नियन्त्रण भी रखता है। वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी टीम का कप्तान है।" प्रधानमन्त्री और उसके सहयोगियों के बीच की स्थिति का वर्णन करते हुए विलियम हारकोर्ट ने उसे नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा कहा है।

प्रधानमंत्री की उपर्युक्त शक्तियों के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन के स्थान पर प्रधानमंत्री का शासन स्थापित हो गया है। इस आधार पर एल० एम० शाही का कहना है कि संस्थागत दृष्टि से मंत्रिमण्डल के सदस्यों की स्थिति प्रधानमंत्री के सहयोगी की अपेक्षा अधिकारी जैसी होती जा रही है।

2. लोकसभा का नेता :-

संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त है एक ओर वह मंत्रिपरिषद् का प्रधान है, तो दूसरी ओर वह लोकसभा का नेता है। इस आधार पर व्यवस्थापना की समस्त कार्यवाही के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है और वही निर्णय करता है कि किसी प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाना

आवश्यक है।

प्रधानमन्त्री लोकसभा को भंग कर सकता है। इंगलैण्ड में तो लोकसभा को भंग करने सिफारिश करना प्रधानमंत्री का एक विशेषाधिकार है। भारत में ऐसा पहला अवसर तब आया जब प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के कहने पर लोकसभा का इसकी अवधि से पूर्व 27 दिसम्बर 1970 ई० को भंग किया। दूसरा अवसर तब आया जब राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने जनता दल प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह की सलाह मानकर 22 अगस्त 1979 ई० को लोकसभा भंग करने घोषणा की।

3. दल के नेता के रूप में:

शासन के प्रधान होने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री विजयी दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में ही दल की प्रतिष्ठा तथा शक्ति समाहित होती है।

4. जन-नायक के रूप में:

प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है। जनसमर्थन के अभाव में उसकी स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती। वह देश का वास्तविक शासक होता है। देश की जनता प्रधानमंत्री को आशा भरी निगाहों से देखती है। 1980 ई० के मध्यावधि

चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के द्वारा पुनः देश में एक चमत्कारी नेतृत्व का उदय हुआ।

5. मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच एक दूसरे को सम्बन्ध करने वाली कड़ी है। अन्य मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से शासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष औपचारिक सम्बन्ध नहीं है। प्रधानमंत्री स्वेच्छा से ही राष्ट्रपति को सूचना देता है। राष्ट्रपति भी किसी प्रकार की सूचना प्रधानमंत्री से माँग सकता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के ही माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मंत्रिमण्डल की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है।

6. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में: अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का महत्व बहुत अधिक है। विदेशों में प्रधानमंत्री की आवाज को भारत की असली आवाज माना जाता है। वह किसी भी देश से सन्धि कर सकता है, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों का हो, देश के प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय भाग लेता है,

Scanned with CamScanner

जैसे 1971 ई० में भारत सोवियत रूस मैत्री संधि भारत-पाक युद्ध, शिमला समझौता के समय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने बहुत बड़ी भूमिका निभायी थी। 1971 ई० में बंगला देश की समस्याओं का जब प्रश्न आया तो प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनायी और एशिया महादेश पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बंगला देश का उदय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी की ही देन है। इस प्रकार देश का प्रधान तथा सर्वोच्च शासक होने के नाते वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7. उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार:
संविधानतः देश के कतिपय उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन व्यवहारतः इन पदाधिकारियों की नियुक्ति में सक्रिय हाथ प्रधानमंत्री का ही होता है। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों संघीय लोक सेवा आयोग वित्त आयोग निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है।

8. प्रधानमंत्री और अर्थतंत्र :—
देश के आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री का पूर्ण

नियंत्रण रखता है। कभी-कभी तो प्रधानमंत्री स्वयं वित्त मंत्रालय को संभाल लेता है। जुलाई 1969 से जून 1970 ई० तक वित्त विभाग को श्रीमती गांधी ने अपने पास रखा था। वित्तमंत्री कोई भी राष्ट्रीय महत्व के वित्त का फैसला स्वयं नहीं कर सकता। समय-समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के समक्ष महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। जुलाई 1975 ई० को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने 20. सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की थी।

9. प्रधानमंत्री और विधि निर्माण :-

विधि निर्माण के क्षेत्र मे प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है लेकिन यहाँ भी उसे संसद के बहुमत का ख्याल रखना पड़ता है।

10. संसदीय दल के साथ सम्बन्ध :-

प्रधानमंत्री संसदीय दल के साथ भी अपना सम्बन्ध बनाए रखता है। वह लोकसभा के अन्य विरोधी दलों के साथ भी अपना सम्बन्ध बनाए रखता है। यदि प्रधानमंत्री का मंत्रिमण्डल तथा संसदीय दल किसी विषय पर विभाजित होते है तो प्रधानमंत्री उस विषय पर सदन के विरोधी दल का समर्थन प्राप्त कर सकता है।

11. देश के रक्षक के रूप में -

प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। इसके साथ ही वह और राष्ट्र का रक्षक होता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय वह देश की रक्षा करता है। जैसे भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री होता है।

12. आपातकालीन अधिकार :-

भारतीय संविधान आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन इस शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा तथा उसके अन्तर्गत विशेष अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की शक्ति है। जैसे 25 जून 1975 को संवैधानिक विफलता के नाम पर संकटकालीन स्थिति की उद्घोषणा की गई थी।

प्रधानमंत्री की स्थिति

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार तथा असीमित है। देखने में इसकी स्थिति एक तानाशाह के समान लगती है। लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री को स्थापित नियमों एवं कानूनों के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

The End.